छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक / 89 / रेरा / 2023 / 1062 रायपुर, दिनाँक 10 / 08 / 2023

/ / परिपत्र / /

विषय :– प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–87 / रेरा / 2023 / 949, दिनाँक 19.07.2023 से संबंधित स्पष्टीकरण व संशोधन के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक / 83 / रेरा / 2023 / 753, रायपुर दिनाँक 01.06.2023 एवं परिपत्र क्रमांक / 87 / रेरा / 2023 / 949, रायपुर दिनाँक 19.07.2023 ।

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से छ.ग. रेरा में पंजीकृत ऑनगोईंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एवं नवीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में ब्रोशर व विक्रय के लिये जारी प्रचार सामग्री एवं स्वीकृत ले–आउट अनुसार किये ज़ाने वाले विकास कार्यों और सुविधाओं की लागत के संबंध में प्रमोटर्स / डेव्हलपर्स को अतिरिक्त प्रकटीकरण हेतु परिपत्र क्रमांक–83 के साथ संलग्न प्रारूप में प्रोजेक्ट की घटक वार वित्तीय योजना की जानकारी त्रैमासिक अद्यतन के साथ व पृथक से प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अनिवार्यतः प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त संबंध में अधिनियम की धारा–37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुये प्रमोटर्स / डेव्हलपर्स को अतिरिक्त प्रकटीकरण हेतु परिपत्र क्रमांक–83 के साथ संलग्न प्रारूप में प्रोजेक्ट की घटक वार वित्तीय योजना की जानकारी पृथक से प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अनिवार्यतः प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा त्रैमासिक अद्यतन के साथ प्रस्तुत करने हेतु बाध्यता को समाप्त की जाती है।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर